

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 60 /2020

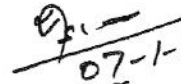
दिनांक 08.01.2020

श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को दिनांक 09.12.2019 से 20.12.2019 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.12.2019 एवं 21.12.2019 से 01.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा "अत्री" की अनुपस्थिति में अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

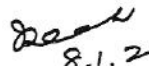

07-1-2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/2013/ 167

दिनांक 08.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।
4. अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।


8.1.2020
सहायक रजिस्ट्रार